दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-१६ वा | बुधवार १० सितम्बर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

संजय शिरसाट पर ५ हज़ार करोड़ के घोटाले का आरोप, एसआयटी की स्थापना

नवी मुंबई सिडको ज़मीन घोटाला

मुंबई जमीर काजी कि रिपोर्ट

महाराष्ट्र के समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट पर नवी मुंबई में सिडको की ५ हज़ार करोड़ रुपये की कथित वन भूमि घोटाले के आरोप के मामले में राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार गुट) के महासचिव व विधायक रोहित पवार ने इस घोटाले के ठोस सबूतों के साथ आरोप लगाए थे। पवार ने दावा किया कि शिरसाट जब सिडको के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने नियमों का दुरुपयोग कर बिवलकर परिवार को १५ एकड़ ज़मीन देने का निर्णय २०२४ में अपनी पहली बैठक में लिया, जबकि वह भूमि सरकार के नाम पर दर्ज थी।

रोहित पवार के आरोप

रोहित पवार ने राज्य के मुख्य सचिव राजेशकुमार मीना से पंद्रह दिन पहले मुलाकात कर १२ हज़ार पन्नों के सबूत सौंपे थे।

उन्होंने कहा कि इस मामले में स्थानीय भूमिपुत्रों और कॉन्शियस सिटिज़न फ़ोरम जैसी सामाजिक संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार समिति ने भी इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।

मामला क्या है?

ब्रिटिश शासनकाल में मराठा साम्राज्य के ख़िलाफ मदद करने पर बिवलकर परिवार को रोहा, पनवेल, अलीबाग और उरण क्षेत्र में ४ हज़ार एकड़ से अधिक ज़मीन इनाम के रूप में दी गई थी।

स्वतंत्रता के बाद १९५२ में बॉम्बे सरंजाम जहांगिरी नियमों के तहत यह ज़मीन सरकार में दर्ज हो गई।

१९५९ में बिवलकरों ने इसे आरक्षित वन दिखाकर सीलिंग एक्ट से बचाने की कोशिश की।

१९७५ में महाराष्ट्र प्राइवेट फ़ॉरेस्ट एक्विज़िशन एक्ट के तहत यह ज़मीन पूरी तरह शासन के अधीन आ गई।

१९८५ में बिवलकरों ने आपत्ति दाख़िल की, जिसे १९८९ में ज़िलाधिकारी ने ख़ारिज कर दिया।

२०१४ में हाईकोर्ट ने बिवलकरों के पक्ष में फ़ैसला दिया, लेकिन २०१५ में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी।

इसके बावजूद, २०२४ में संजय शिरसाट ने सिडको अध्यक्ष बनने के बाद बिवलकरों को १५ एकड़ भूमि देने का फ़ैसला किया।

पवार ने आरोप लगाया कि इस ज़मीन पर गरीबों के लिए लगभग १० हज़ार घर बनाए जा सकते थे।

उन्होंने यह भी बताया कि बिवलकर परिवार का एक आरोपी देश छोड़कर भागने की साज़िश कर रहा है। उसे रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर गिरफ़्तारी ज़रूरी है। अगर आरोपी भागा तो इसकी ज़िम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी।

क्या होगा संजय शिरसाट का भविष्य?

रोहित पवार ने सवाल उठाया कि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भ्रष्ट मंत्रियों का इस्तीफ़ा लेकर यह साबित करेंगे कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या फिर उन्हें संरक्षण देकर राज्य को लूटने की खुली छूट देंगे?

पवार ने चेतावनी दी कि कुछ भी हो जाए, हम इस मुद्दे को अंजाम तक पहुँचाएँगे। स्थानीय भूमिपुत्र और कुलधारकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं।

शिरसाट को बदनाम करने की साज़िश - उदय सामंत

इस बीच, उद्योग मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने शिरसाट का बचाव करते हुए कहा कि:

किसी नेता का राजनीतिक करियर ख़त्म करने की कोशिश असफल होने पर उसे बदनाम करने की साज़िश रची जाती है।

संजय शिरसाट के साथ अभी यही हो रहा है। जिस ज़मीन का मामला है, वह अभी तक अलॉट भी नहीं हुई। फिर भी शिरसाट को नाहक बदनाम किया जा रहा है। सामंत ने कहा कि इस प्रकरण में दिए गए आदेशों का शिरसाट से कोई लेना-देना नहीं है। यह केवल उनका राजनीतिक जीवन बर्बाद करने की चाल है, जो कभी सफल नहीं होगी।

उस्मानाबाद (धाराशिव) जिले में वक्फ अतिक्रमण धारकों पर कड़ी कार्रवाई करें

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काज़ी का प्रशासन को आदेश

धाराशिव (प्रतिनिधि) : महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के अध्यक्ष समीर गुलामनबी काज़ी (राज्यमंत्री दर्जा) की अध्यक्षता में उस्मानाबाद (धाराशिव) जिले की वक्फ ज़मीनों पर अतिक्रमण और राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों को लेकर सोमवार, ०८ सितम्बर को दोपहर १२ बजे जिलाधिकारी कार्यालय, धाराशिव में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नए वक्फ (उम्मीद) अधिनियम में राजस्व विभाग की भूमिका, राजस्व विभाग के शासन निर्णय दिनांक १३ अप्रैल २०१६

का क्रियान्वयन, वक्फ ज़मीनों का भू-अधिग्रहण, अतिक्रमण, अवैध खालसा प्रकरण, तथा नगर परिषद क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर चर्चा की गई। इस दौरान वक्फ अधिनियम १९९५ की धारा ५२(ए) के तहत अतिक्रमण धारकों पर आपराधिक कार्रवाई करने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श हुआ। अध्यक्ष महोदय ने जिलाधिकारी धाराशिव एवं संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर वक्फ मंडल से संबंधित कार्यों में आ रही अड़चनों पर सवालों का निपटारा किया। इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के अध्यक्ष समीर गुलामनबी काज़ी (राज्यमंत्री दर्जा), जिलाधिकारी धाराशिव श्रिकर्ती किरण पुजार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धाराशिव श्री मैनक घोष, जिला वक्फ अधिकारी सय्यद आमेर खैसर पटेल, धाराशिव जिले के सभी नगर परिषदों के मुख्याधिकारी, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, सभी उपविभागीय अधिकारी, धाराशिव जिले के सभी तहसीलदार तथा अनेक अधिकारी वर्ग उपस्थित रहे।

चिमुरडी पर अत्याचार करने वाले आरोपी को फांसी दो; अंबाजोगाईकरों की मांग

दलित अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समिति का निषेध मोर्चा

अंबाजोगाई (प्रतिनिधि)

परली वैजनाथ रेलवे स्टेशन परिसर में चिमुरडी पर अत्याचार करने वाले आरोपी को फांसी दी जाए, ऐसी मांग अंबाजोगाईकरों ने की। इसी सहित विभिन्न मांगों को लेकर दलित अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समिति की ओर से मंगलवार को निषेध मोर्चा निकाला गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया।

दलित अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समिति की ओर से मंगलवार को निकाले गए इस मोर्चे की शुरुआत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक के नामफलक को अभिवादन करके की गई। यह मोर्चा नारेबाजी करते हुए भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, बस स्थानक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक मार्ग से होते हुए उपविभागीय कार्यालय पहुंचा। ज्ञापन देने से पहले यहां निषेध सभा भी आयोजित की गई। इस सभा में समिति की ओर से विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे।

इसके बाद उपजिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि रविवार, ३१ अगस्त २०२५ की रात को पंढरपुर से परली काम की तलाश में आए एक एस.सी. (मागासवर्गीय समाज) के परिवार के रेलवे स्टेशन परिसर में सोते समय, पांच साल की बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर अत्याचार किया गया। पीड़ित बच्ची का उपचार स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण अस्पताल, अंबाजोगाई में जारी है।

ज्ञापन में आगे कहा गया कि ३१ अगस्त की रात ड्यूटी पर तैनात रेलवे पुलिस और परली संभाजीनगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लापरवाह रहे, जिसकी वजह से यह घटना घटी। बीड़ जिले में खासकर परली पुलिस अक्सर अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतती है, जिसके कारण अपराधियों पर पुलिस का दबदबा नहीं रहा है। पुलिस गैर-जरूरी कामों में व्यस्त रहती है और रात की ड्यूटी ठीक से निभाती नहीं है, जिससे एस.सी. समाज के गरीब परिवार पर यह संकट आया।

मांग की गई है कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को भी इस अपराध में सह-आरोपी बनाया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार का तत्काल पुनर्वसन कर उन्हें सरकारी सेवा में शामिल किया जाए। आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। इन सभी मांगों को ज्ञापन में दर्ज किया गया है।

यह ज्ञापन शालेय छात्रों के हाथों प्रशासन को सौंपा गया। अंबाजोगाईकरों ने दलित अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समिति के माध्यम से निकाले गए इस निषेध मोर्चे में मानवलोक समाजकार्य महाविद्यालय, श्री योगेश्वरी शिक्षण संस्था के विद्यार्थी, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के नेता, प्रमुख कार्यकर्ता, पत्रकार, समाजसेवक, विभिन्न क्षेत्रों के मान्यवर, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, युवक-युवतियां और बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए।

'मविआ' आज जनसुरक्षा विधेयक के विरोध में राज्यभर में आंदोलन करेगी।

विशेष प्रतिनिधि

मुंबई:

राज्य में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार द्वारा शहरी नक्सलवाद को खत्म करने के नाम पर लाए गए जनसुरक्षा विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों ने आक्रामक रुख अपनाया है। इस अत्याचारी विधेयक के विरोध में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), माकपा, भाकपा, शेकाप सहित समान विचारधारा वाले दलों ने आंदोलन का आह्वान किया है। बुधवार को राज्य के सभी तहसील और जिला स्तर पर यह आंदोलन किया जाएगा।

जनसुरक्षा विधेयक को तानाशाही प्रवृत्ति का बताते हुए विपक्ष ने आशंका जताई है कि सरकार इसका उपयोग एक हथियार के रूप में विरोधी आवाजों को दबाने के लिए कर सकती है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए वर्तमान में मौजूद कानून पहले से ही सख्त हैं, इसलिए अलग कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, सरकार अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी उनके खिलाफ आंदोलन या आवाज न उठाए। इस कानून के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने, जेल में डालने और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। इस काले कानून को रद्द करने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कमर कसी है और १० सितंबर को तथा इसके बाद २ अक्टूबर को राज्यभर में आंदोलन करने की घोषणा की गई है। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दी है।

एम आय एम कार्यकर्ता का बॅ असदोद्दीन आवेसी साहब को एक फोन और मासुम बच्चे को मिला हैद्राबाद में उपचार

जिंतूर मतदार संघ के आडगाव निवासी मासुम बच्चा साईराज ७ वर्ष के पितीजी विलास पवार ने माना आवेसी साहब का आभार

जिंतूर (एम एजाज जिंतूरकर) जिंतूर मतदार संघ के आडगाव बाजार निवासी विलास पवार के बेटे साईराज ७ वर्ष इस मासुम बच्चे को गले की गंभीर स्वरूप की बिमारी थीं! नांदेड़ के डॉक्टरो

ने उस बच्चे को लेजाने को कहा साईराज के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है! और वो नांदेड़ से हैद्राबाद जाने का एम्बुलेंस का किराया भी नहीं दे सकते तब बच्चे के गांव वालों ने और सामाजिक कार्यकर्ता वो ने सोशल मीडिया पर मरीज का फोन पे नंबर देकर मदत की अपिल की और दानशुर लोगों ने प्रतिसाद दिया! और वो पवार परिवार ने अपने बच्चे को हैदराबाद तों लेकर गये! मगर उपचार के लिए! पैसो की कमी के कारण हैदराबाद में किसी भी दवाखाने में उसे शरिक नहीं किया! पवार परिवार बहोत परेशान हो गये ! उन्होंने गांव के कांग्रेस पार्टी के तालुकाध्यक्ष ऑड माधव दाभाडे को परी बात बताई तो कांग्रेस के तालुकाध्यक्ष ऑड माधव दाभाडे ने तुरंत एम आय एम के तालुकाध्यक्ष नईम पठान से संपर्क किया! और एम आय एम पार्टी से उस बिमार बच्चे की मदत करनें को कहा! जिंतूर एम आय एम के तालुकाध्यक्ष नईम पठान ने पुर्णा एम आय एम तालुका अध्यक्ष शफी भाई से मदत मांगी शफी भाई ने सिधा एम आय एम सुप्रीमो ब बॉ असदोद्दीन आवेसी साहब को फोन पर पर संपर्क कर पुरी बात बताई! आवेसी साहब ने हैदराबाद में अपने कार्यकर्ता चांद पाशा भाई, पठान अज़हर भाई मन्सुर पठान को रात ढाई बजें फोन लगाया और कहा के तुरंत वो बच्चे को उपचार के लिए! अच्छे दवाखाने मे भरती करावो और उपचार कराव बॅरिस्टर असदद्दोन अवैसी साहब का फोन पे आया फरमान कार्यकर्ता दौड़े दौड़े भागे और वो मासुम बच्चे को दवाखाने में भर्ती कराया! साईराज पवार ये मासुम बच्चा एक दम ठिक होकर सहकुशल अपने परिवार के साथ अपने गांव वापस आया! बच्चे के परिजनों ने और गांववासी यो ने बॅरिस्टर असदद्दोन अवैसी साहब का तहदिल से शुक्रीया अदा किया है!

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने दबाव में निर्णय लिया-मंत्री भुजबळ का आरोप

मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री को जीआर पर स्पष्टता लाने के लिए निवेदन

जमीर काझी
मुंबई:

मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए शासकीय निर्णय (जीआर) को लेकर मराठा और ओबीसी समुदायों के बीच विवाद और भड़कने की संभावना है। सरकार ने हैदराबाद गजट को लागू करने का निर्णय बिना किसी आपत्ति या सुझाव मांगे, मराठा आंदोलन के दबाव में लिया, ऐसा गंभीर आरोप मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री और अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के अध्यक्ष छगन भुजबळ ने मंगलवार को लगाया। मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखित निवेदन देकर जीआर में स्पष्टता लाने की मांग की।

राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण के संबंध में २ सितंबर को एक शासकीय निर्णय जारी किया था। मराठा समाज को कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस निर्णय में कुछ शब्दों पर ओबीसी संगठनों ने आपत्ति जताई है। इस जीआर के कुछ शब्दों के कारण यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि मराठा समाज सरसकट ओबीसी श्रेणी में शामिल हो सकता है, जिससे ओबीसी समुदाय के छोटे-छोटे घटकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। निवेदन में कहा गया है कि मीडिया, समाचार पत्रों और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय जल्दबाजी में, दबाव में, मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए बिना, आपत्तियां और सुझाव मांगे बिना, और राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के विरोध को

नजरअंदाज करके जारी किया गया प्रतीत होता है।

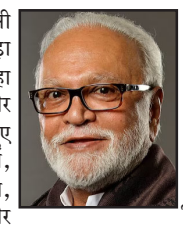

वर्तमान में ओबीसी आरक्षण में राज्य की ३५० से अधिक जातियां शामिल हैं। इस शासकीय निर्णय के कारण इन सभी जातियों के हितों पर आघात हो सकता है। इसलिए इसमें आवश्यक सुधार और स्पष्टता लाना जरूरी है। शासकीय निर्णय में 'शिश्रर-ंळेप (नातेसंबंध) शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के अधिनियम में 'शिश्रर्रींळींश (नातेवाईक) की परिभाषा स्पष्ट की गई है। नातेसंबंध शब्द अत्यंत अस्पष्ट है, जिसमें पितृकुल, मातृकुल, दत्तक आदि सभी शामिल हो सकते हैं। इससे दूर के सैकड़ों लोगों के शपथपत्रों के आधार पर जाति निर्धारित की जा सकती है, जो खतरनाक है और गरीब ओबीसी समाज पर अन्याय हो सकता है।

पत्रकारों से बात करते हुए भुजबळ ने कहा कि केवल शपथपत्रों के आधार पर जाति का निर्णय लेना भारत में कहीं भी मान्य नहीं है। आरक्षण जैसे संवैधानिक विषय में शपथपत्रों का आधार लेना उचित नहीं है। इसलिए इस जीआर को वापस लिया जाए या इसमें अस्पष्टता को दूर किया जाए। ओबीसी घटकों के इस मुद्दे पर आवाज उठाने वालों को बिना किसी राजनीति के सावधानी से आवाज उठानी चाहिए। किसी भी नेता के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस दौरान किसी भी नेता पर निम्न स्तर की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

लोकतंत्र बचाने के लिए आज के धरना आंदोलन में शामिल हों-सभापति खुर्शीद आलम

बीड (प्रतिनिधि) : महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ यह संविधान विरोधी और लोकतंत्र के लिए बाधक विधेयक है, जो जनता के मूलभूत अधिकारों पर आघात करता है। मौजूदा सरकार ने यह जनसुरक्षा विधेयक सामाजिक आंदोलनों के कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने और तानाशाही व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया है। इस कानून का उपयोग विरोधियों, वामपंथी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों, सरकार के खिलाफ बोलने वाले सामान्य नागरिकों तथा पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दमन और बल प्रयोग के जरिए कार्रवाई करने में होगा, ऐसी आशंका विभिन्न संगठनों और विरोधियों ने व्यक्त की है। इसके चलते कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में इस विधेयक के खिलाफ गहरा असंतोष और भय का वातावरण निर्माण हुआ है।

इसी कारण, उक्त जनसुरक्षा कानून के विरोध में दिनांक १० सितम्बर २०२५, बुधवार को राज्यभर में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार गुट बीड और महाविकास आघाड़ी की ओर से १० सितम्बर २०२५, बुधवार को बीड शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास सुबह ११ बजे भव्य आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त जनसुरक्षा कानून के विरोध में होने वाले इस भव्य आंदोलन और प्रदर्शन में सभी पूर्व और वर्तमान सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, सभी सेलों के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सभी विधानसभा अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सभी पूर्व व वर्तमान नगरसेवक, पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मान्यवर तथा अन्य सभी पूर्व व वर्तमान पदाधिकारियों ने बिना अनुपस्थित हुए शामिल होना चाहिए, ऐसा विनम्र आह्वान बीड नगरपरिषद के पूर्व सभापति तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीड शहराध्यक्ष खुर्शीद आलम ने किया है।

खेत में अजगर निकलने से किसानों में दहशत का माहौल; घबराएँ नहीं, वन विभाग अथवा सर्पमित्र से संपर्क करें-डॉ. गणेश धवले

लिंबागणेश (०९ सितम्बर) : पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया है। इसके चलते कई सरपटने वाले जीव अपने पारंपरिक आश्रयस्थल छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में बीड़ तहसील के बालाघाट क्षेत्र के ससेवाड़ी गांव के शिवार में रसाल परिवार के सोयाबीन के खेत में रविवार (०७ सितम्बर) दोपहर को मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक एक विशाल अजगर दिखाई दिया। इस घटना से किसानों में भारी घबराहट फैल गई।

डरे हुए किसानों ने भयवश किए गए हमले में उस अजगर की मौत हो गई। खेत में अजगर का दिखना सामान्य नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में वे सुरक्षित ठिकानों की खोज में बाहर निकलते हैं, जिससे ऐसे घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

अजगर दिखाई देने पर किसानों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत वन विभाग या स्थानीय सर्पमित्र से संपर्क करना चाहिए ताकि अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके। अजगर प्रायः इंसानों पर हमला नहीं करते, जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो। इसलिए ऐसी स्थिति में शांत रहना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अजगर को परेशान करने या पकड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा आह्वान सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. गणेश धवले ने किया है।

बीड शहर बचाव मंच और एसडीपीआई पार्टी का जिल्हाधिकारी, एसपी साहेब और नगर परिषद मुख्याधिकारी को तात्कालिक निवेदन

१७ सितंबर तक शहर की तात्कालिक समस्याओं का निपटारा किया जाए

बीड प्रतिनिधि :

बीड शहर बचाव मंच और एसडीपीआई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आगामी १७ सितंबर २०२५ को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर बीड शहर की तात्कालिक समस्याओं का निपटारा तुरंत करने की मांग को लेकर जिल्हाधिकारी साहेब, एसपी साहेब और नगर परिषद मुख्याधिकारी- इन तीनों को निवेदन सौंपा गया। १७ सितंबर तक शहर की जरूरी कामकाज तत्काल किए जाएं, ऐसी आग्रही विनती इस निवेदन में की गई। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि सभी काम प्राथमिकता से जारी हैं और जल्द ही पूरे किए जाएंगे।

बीड शहर की सड़कें, नालियां, पथदीप (स्ट्रीट लाइट्स), कचरा और नाले की सफाई, बंद घंटा गाड़ियां, यातायात व्यवस्था-इन सभी समस्याओं के चलते शहर की स्थिति बेहद दयनीय और चिंताजनक हो चुकी है। शहर के सभी इलाकों में नागरिक परेशान हैं। जनता की सहनशक्ति की भी अब कोई सीमा शेष नहीं रही। इसी संदर्भ में यह निवेदन अधिकारियों को सौंपा गया।

निवेदन में प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

शहर की सभी सड़कों पर पार्किंग-मार्किंग और ट्रैक मार्किंग की सफेद पट्टियां तत्काल की जाएं।

जगह-जगह जरूरत के अनुसार पार्किंग और नो-पार्किंग के बोर्ड स्थायी रूप से लगाए जाएं।

सभी पुराने और नए अधिकृत रिक्शा स्टैंड्स पर आधिकारिक पार्किंग और वाहन संख्या सीमा के बोर्ड लगाए जाएं।

शहर से गुजरने वाले सभी मुख्य हाईवे और आंतरिक सड़कों पर जरूरत के मुताबिक तथा डिवाइडर व्यवस्था के अनुसार तत्काल सिग्नल लगाए जाएं और चालू किए जाएं।

शहर में रोजाना चलने वाली अतिक्रमण विरोधी टीम और नो-पार्किंग टीम नियमित रूप से कार्यरत रहे।

आवारा पशुओं का तुरंत बंदोबस्त किया जाए।

नगर रोड क्षेत्र में सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों के सामने पार्किंग व नो-पार्किंग का नियोजन किया जाए। आदरणीय कोर्ट भवन और जिल्हाधिकारी कार्यालय के सामने यू-टर्न की व्यवस्था की जाए।

शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए कम से कम ४-५ नई जेसीबी मशीनें और ५० घंटा गाड़ियां तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। नियमित सफाई अभियान जारी रखा जाए।

शहर के सभी हिस्सों में रोग-निवारक दवा का छिड़काव तत्काल किया जाए और नियमित रूप से जारी रखा जाए।

शहर के सभी हिस्सों में पथदीप (स्ट्रीट लाइट्स) तुरंत बढ़ाए जाएं। इस संबंध में हाल ही में नगर परिषद को रिपोर्ट भी दी गई है।

नगरपालिका के १४/८/२०२५ के पत्र (पत्र क्रमांक आवक-जावक क्रमांक ३२९९) के अनुसार धानोरा रोड के गड्ढों को मुरूम डालकर तुरंत भरना था, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। अंकुश नगर और धानोरा रोड क्षेत्र के गड्ढों को तुरंत भरा जाए।

शहर के कई हिस्सों की सड़कें जर्जर हैं, अतः सभी क्षेत्रों की सड़कों के गड्ढों को मुरूम डालकर तुरंत भरने का कार्य किया जाए। निवेदन देने के लिए उपस्थित रहे:

बीड शहर बचाव मंच, एसडीपीआई पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से - कॉम्रेड प्राचार्य डी. जी. तांदळे सर, कॉम्रेड नितीन जायभाये, कॉम्रेड भाऊराव प्रभाळे, एड. अनिल बारगजे, एड. नितीन वाघमारे, बाजीराव ढाकणे, मा. न.से. सय्यद फारूक।

एसडीपीआई पार्टी की ओर से - शेख अब्दुल कादर (महासचिव, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, बीड जिला), कलीम इनामदार (जिला समिति सदस्य), एजास चौधरी (जिला समिति सदस्य), काज़ी तक़ीउद्दीन, आदिल भाई और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बीड़ में सीताफल की उत्तम कृषि पद्धति पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

बीड़ (प्रतिनिधि)

सहकार एवं पणन विभाग, एशियन डेवेलपमेंट बैंक अर्थसहाय्य महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क (मैग्नेट) परियोजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडल पुणे तथा आत्मा व कृषि विभाग बीड़ के संयुक्त तत्वावधान में सीताफल की उत्तम कृषि पद्धति विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मा. श्री सुभाष साळवे, परियोजना संचालक आत्मा बीड़ एवं जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी बीड़, मा. श्री महादेव बरडे, विभागीय परियोजना उपसंचालक झखण, मैग्नेट लातूर, मा. श्री विलास जगताप, जिला समन्वयक अधिकारी माविम बीड़, श्री हेमंत जगताप, मानव संसाधन विकास तथा वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडल, साखर संकुल शिवाजीनगर पुणे, श्री गणेश वाघ, तकनीकी अधिकारी कृषि विभाग बीड़, श्री गणेश पाटील, विभागीय परियोजना अधिकारी मैग्नेट लातूर, श्री गजेन्द्र नवघरे, श्री अक्षय हतागळे, मैग्नेट लातूर तथा श्री जुबेर पठान, बीटीएम आत्मा बीड़ आदि मान्यवर उपस्थित थे।

कार्यक्रम में श्री सुभाष साळवे ने किसानों से सीताफल प्रसंस्करण उद्योग पर विशेष ध्यान देने का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि अधिक उत्पादन देने वाली सीताफल की किस्मों की खेती कर, वैज्ञानिक पद्धति से उसका पालन-पोषण करना आवश्यक है। श्री महादेव बरडे ने लातूर विभाग के किसानों को सीताफल प्रसंस्करण सुविधा केंद्र का लाभ उठाने की बात कही तथा भविष्य में बीड़ में ऐसे अधिक कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया।

श्री विलास जगताप ने बताया कि महिलाओं के लिए सीताफल प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं। श्री हेमंत जगताप ने प्रस्ताविक भाषण में महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडल को सीताफल फसल पर कार्यशाला आयोजित करने का अवसर देने के लिए मैग्नेट परियोजना का आभार व्यक्त किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. नवनाथ कस्पटे ने सीताफल की उत्तम उत्पादन पद्धति एवं देखभाल पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। डॉ. गोविंद मुंडे ने सीताफल फसल की कटाई के बाद के वैज्ञानिक तकनीक पर जानकारी दी। श्री राहुल घोरपड़े ने निर्यात योग्य सीताफल उत्पादन हेतु कीट एवं रोग नियंत्रण पर विस्तार से जानकारी दी। श्री श्याम गट्टानी ने सीताफल मार्केटिंग तकनीक एवं प्रसंस्करण उद्योग के बारे में जानकारी साझा की। श्री गणेश पाटील ने ग्लोबल गैप प्रमाणिकरण के बारे में जानकारी दी। वहीं, श्री अक्षय हतागळे ने लिंग समानता एवं सामाजिक समावेशन पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। कार्यक्रम का सूत्रसंचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री हेमंत जगताप ने किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीड़ जिले के करीब १८० से अधिक किसान भाइयों ने हिस्सा लिया, जिनमें महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम की सफलता में आत्मा व कृषि विभाग बीड़ का विशेष सहयोग रहा।

माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के तत्वावधान में मराठवाड़ा स्तर साइंस फेयर २०२५ के आयोजन की घोषणा

औरंगाबाद: (तामीर न्यूज)

माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के तत्वावधान में मराठवाड़ा स्तर साइंस फेयर २०२५ का आयोजन किया जा रहा है। यह साइंस फेयर एक प्रतिष्ठित शैक्षिक और अनुसंधान मंच है, जिसका उद्देश्य मराठवाड़ा के छात्रों में वैज्ञानिक रुचि, रचनात्मकता और अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। इस साइंस फेयर में मराठवाड़ा भर के स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के छात्रों को आमंत्रित किया गया है ताकि वे अपने वैज्ञानिक मॉडल और अनुसंधान परियोजनाओं को विशेषज्ञ जजों, शिक्षकों और शैक्षिक मार्गदर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। इस अवसर पर विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनारों का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें छात्रों को उनके प्रोजेक्ट्स की तैयारी और प्रस्तुति के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे।

इस अवसर के लिए एक प्रतिष्ठित साइंस फेयर समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य संरक्षक के रूप में श्री सरताज शाकिर साहब (पूर्व उप शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, औरंगाबाद), श्रीमती ख्वाजा कौसर हयात साहिबा और डॉ. इमरान अहमद साहब मुख्य समन्वयक के रूप में शामिल हैं। इसी तरह, श्री मोहम्मद इरफान खान सौदागर साहब और श्री जमीस अहमद साहब कार्यकारी सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा, श्रीमती खान सरवत अंजुम, श्रीमती सैयदा रोहिना कादरी, डॉ. सबूर खान, डॉ. अब्दुलजलील साहब, डॉ. अहमद अलशहाब, डॉ. यासर सिद्दीकी और श्री मोहम्मद फहीम साहब भी समिति के सक्रिय सदस्यों में शामिल हैं, जो अपने मार्गदर्शन और अनुभव से इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

साइंस फेयर के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी निर्धारित की गई हैं: पंजीकरण की अंतिम तिथि २० सितंबर २०२५ है। छात्र अपने परिकल्पना (र्क्रींहिशीळी) को ३० सितंबर २०२५ तक अपलोड कर सकते हैं। (इस अवधि में माइंड्स इन मोशन कार्यालय में विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे।) प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की अंतिम तिथि १० नवंबर २०२५ निर्धारित की गई है, और अंतिम प्रोजेक्ट्स जमा करने की अंतिम तिथि ८ दिसंबर २०२५ है। वहीं, अंतिम साइंस फेयर का आयोजन १६ और १७ दिसंबर २०२५ को एजुकेशन एक्सपो २०२५ के दौरान किया जाएगा। मराठवाड़ा स्तर साइंस फेयर २०२५ न केवल एक प्रतियोगिता है, बल्कि एक आंदोलन भी है, जिसके माध्यम से नई पीढ़ी को भविष्य की शैक्षिक और अनुसंधान चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा और वैज्ञानिक सोच को समाज में प्रचारित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ९९७५०९९२०० पर संपर्क किया जा सकता है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com